

- * अमेरिकी कांग्रेस विभिन्न प्रशासनिक विभागों के बारे में विचार ले सकती है।
- * वह अपनी जांच समितियाँ नियुक्त करके प्रशासनिक विभागों की आलोचना कर सकती है।
- * इसके अलावा, राष्ट्रपति उच्च पदों के लिए जो नियुक्तियाँ करता है, या विदेशों के साथ जो सन्धियाँ करता है, उनके लिए सीनेट का अनुसमर्थन जरूरी होता है।
- * एक प्रथा के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को ऐसे राज्य में कोई नियुक्ति करनी हो जहाँ का सीनेट-सदस्य राष्ट्रपति के अपने राजनीतिक दल से हो तो राष्ट्रपति ऐसी नियुक्ति करने से पहले उस सीनेट सदस्य से परामर्श कर लेता है। यदि वह सदस्य प्रस्तावित नियुक्ति का अनुमोदन कर देता है तो सीनेट भी उस नियुक्ति को पुष्टि कर देगी। यदि वह सीनेट-सदस्य इस पर आपत्ति करता है तो सीनेट भी उसकी पुष्टि नहीं करेगी। इस प्रथा को सीनेट रियल डिपेंडेंस (Senate Real Dependency) की संज्ञा दी जाती है।
- * न्यायिक शक्तियाँ → यदि वेबस्टीट, ग्रुप-चार या सर्वि-थोन के उत्तराधिकारी, इत्यादि का आरोप लगाकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों या प्रशासनिक उच्च अधिकारियों पर महाभियोग चलाना हो तो इसने लिए प्रतिनिधि सभा महाभियोग की धारा से गुजर करती है और सीनेट में मुकदमा चलाया जाता है।
- * प्रतिनिधि सभा में महाभियोग की धाराओं को बुरायाण बिल से पारित किया जाता है।
- * दोष सिद्ध करने के लिए महाभियोग की प्रत्येक धारा पर सीनेट में उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत आवश्यक होगा। दोष सिद्ध हो जाने पर

अभिमुख की पद से हटा दिया जाता है।

* चार-दाल के अन्तराल पर जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो इस चुनाव से दाल गण वोटों की गिनती के लिए कांग्रेस के दोनों सदस्यों का अभिमुख आधिकार होता है।

* यदि राष्ट्रपति - पद के लिए किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता तो गिनती में उम्मीदवारों को सबसे अधिक वोट मिले हैं, उनमें से एक को प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति पद के लिए चुनती है।

* यदि उपराष्ट्रपति - पद के लिए किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता तो गिनती में उम्मीदवारों को सबसे अधिक वोट मिले हैं, उनमें से एक को सीनेट उपराष्ट्रपति - पद के लिए चुनती है।

कक्षा:

pol-sc(Hons)

part - I

paper - II

Dr. Rama Kant Pandey

G.R.A.P. college

Bara Chakiya